2024/57

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) सांगानेर, जयपुर

राजस्व वाद संख्या : 8/2024

उनवानः— नजरूखान बनाम गोपाल वगै0

8/1/2024 वकील वादिनी ने वाद पत्र बावत् स्थाई निषेधाज्ञा व सीमा निर्धारण अन्तर्गत 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 111 128 भू राजस्व 1956 पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 15.02.2024 को पेश हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

15/2/24 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली [illegible] दिनांक 15/3/24 को पेश हो।

15/2/24 (ADO)

15/3/24 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अ[illegible] कार्य [illegible] है। अतः प[illegible] दिनांक 15/5/24 को पेश हो।

15/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित है प्रतिवादीगण को तलबी हेतु दिनांक 21/6/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

21/6/24 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधिवक्ता के [illegible] गई। इनकी ओर से कोई [illegible] नहीं देने से वाद [illegible] सदर पैरवी से खारिज किया जाता है। पत्रावली टेबल शुमार होकर, दर्ज रजिस्टर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested